13

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

रा0वि0 अनुज्ञप्ति रद्द अपील सं0–24/2022–23

बद्री प्रसाद सिंह

बनाम्

लालमोहन राय एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 22/11/22

प्रविष्टि विन्दु पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के ज्ञापांक–651/जि0 आ0 गोड्डा दिनांक–28.05.2022 के आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया है एवं अपील आवेदन को अंगीकृत करने का अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता उचित मुल्य के दुकान के मालिक है, जो उन्हें पंचायत ठाकुरनहान के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संख्या 03/89 निर्गत है। उसी अनुज्ञप्ति के तहत निधारित शर्त के अनुसार अपने कतर्व्य एवं दायित्व का निर्वहन दिनांक 28.05.2022 तक किये है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता संविदा अधारित अतिरिक्त विभागीय डाक वितरण एवं डाक मेसेंजर का कार्य अभिकर्त्ता के रूप में दिनांक 11.09.1978 से किया करते थे और दिनांक 30.11.2021 को ग्रामीण डाक सेवक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हेतु आवेदन दिए जो कार्यालय को 01.12.2021 को प्राप्त हुआ तथा जिनकी स्वीकृति भारतीय डाक विभाग की ओर से दिनांक 11.01.2022 को हो गया है। लेकिन ग्रामीण रंजिश के कारण उत्तरवादी संख्या–2 ने अपीलकर्त्ता के विरूद्ध नौकरी करने का आरोप लगाकर शिकायत किया। उक्त शिकायत का जाँच प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट से कराया गया और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक 03/10.01.2022 को आधार मानकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा ने ज्ञापांक 26/जि0आ0 दिनांक 10.01.2022 के द्वारा अपीलकर्त्ता का जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति संख्या 03/89 को निलंबित कर दिया तथा अपीलकर्त्ता से स्पष्टीकरण की माँग की गई। अपीलकर्त्ता ने दिनांक 20.01.2022 को अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में जिला आपूर्ति कार्यालय को दिया। इसके बाद शिकायतकर्त्ता ने अपीलकर्त्ता के विरूद्ध पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष शिकायत किया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष अपीलकर्त्ता उपस्थित होकर दिनांक 30.05.2022 को लिखित रूप से अपना पक्ष रखा, जो अभी अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष विचाराधीन है। इसके बाद 120 दिन बीत जाने के बाद अपीलकर्त्ता के द्वारा निलम्बित अनुज्ञप्ति संख्या 03/89 को निलंबन मुक्त करने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को आवेदन दिनांक 20.05.2022 को दिया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा ने ज्ञापांक 644/जि0आ0 दिनांक 21.05.2022 के माध्यम से अनुज्ञप्ति संख्या 03/89 को निलम्बन मुक्त करने का आदेश अपीलकर्त्ता को दिया गया। उसी आधार पर अपीलकर्त्ता ने खाद्यान्न वितरण के लिए सहायक गोदाम प्रबंधक पोड़ैयाहाट से खाद्यान्न का उठाव किया एवं माँ जगदम्बा स्वयं सहायता समूह ठाकुरनहान से e-Pos मशीन प्राप्त किया तथा 24 लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण भी किए है। लेकिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा ने ज्ञापांक 651/जि0आ0 दिनांक 28.05.2022 से अपीलकर्त्ता का अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश निर्गत किया गया। अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति संख्या 03/89 को रद्द करने के पुर्व अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य है।

सरकारी वकील का कथन है कि अपीलकर्त्ता जन वितरण दुकान भी चला रहा था एवं भारतीय डाक विभाग के EDDA / सहायक पोस्ट मास्टर का भी कार्य करते थे। इसलिए अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति संख्या 03/89 को रद्द किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य नहीं है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता ने भारतीय डाक विभाग के EDDA / सहायक पोस्ट मास्टर का भी कार्य करते थे। अपीलकर्त्ता के द्वारा भारतीय डाक विभाग में सहायक पोस्ट मास्टर का कार्य करने के तथ्य को छिपाकर गलत ढंग से जन वितरण प्रणाली दुकान का अनुज्ञप्ति प्राप्त कर दुकान का संचालन किया जा रहा था। इसलिए अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति संख्या 03/89 को रद्द किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

डी० वी०-22
26.5.23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 12:30:57 +05:30
Location: 192.168.1.38